FAMILY COURT, BHOJPUR, ARA
Matrimonial Case No 528/2024

Sl. No.	Date of order of proceeding	Order with Signature	Office action taken with date
	10-03-2026	पत्रावली प्रस्तुत की गयी। पुकारा कराया गया। पुकार पर न आवेदिका न ही उनकी ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आये। अभिलेख का अवलोकन किया। आदेश फलक यह स्पष्ट करता है कि हस्तगत मामले को दिनांक 26.09.2025 के पश्चात आवेदिका अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहे हैं ना ही न्यायालय आदेश का पालन कर रही हैं। आवेदिका का यह आचरण यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि हस्तगत वाद को आगे जारी रखने में उनकी कोई रूची नहीं रह गयी है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य भी नहीं रह गया है। उपरोक्त परिस्थतियों में हस्तगत वाद को आदेश–9 नियम–3 सी0पी0सी0 के अंतर्गत खारिज किया जाता है।। कार्यालय हस्तगत वाद को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करावें। लेखापित (आशुतोष कुमार) प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भोजपुर, आरा।	